



म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर



“म.प्र. ऊर्जा दक्षता सुधार निवेश परियोजना ट्रेंच-II जो कि ए.डी.बी. ऋण क्रं. 2830 के अंतर्गत है”

कार्यकारी सारांश

1. परिचय

1. मध्य प्रदेश में, जहां 70% ग्रामीण आबादी निवासरत हैं, उसमें विद्युत ऊर्जा की समुचित एवं उच्च गुणवत्ता वाली आपूर्ति, क्षेत्र के आर्थिक विकास और उन्नति को बढ़ावा देगी। ग्रामीण परिवारों को आपूर्ति की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये व बिजली की 24 घंटे की आपूर्ति प्रदान करने के लिये, मध्य प्रदेश सरकार (जी.ओ.एम.पी.) एक वितरण सुधार कार्यक्रम (फीडर विभक्तिकरण कार्यक्रम) की परियोजना ला रही है जिसकी अनुमानित लागत 11,000 लाख डॉलर (1100 मिलियन डॉलर है)। निवेश कार्यक्रम के अंतर्गत घरेलू और कृषि सिंचाई के पंपों के लिये अलग-अलग फीडर स्थापित किये जाएंगे, उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (एच.वी.डी.एस) स्थापित किये जाएंगे, नये पावर कनेक्शन प्रदान करेंगे, मीटर स्थापित करेंगे, वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की संपत्तियों को चिन्हित करेंगे, तथा परिवारों को बेहतर गुणवत्ता की बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये नेटवर्क का विश्लेषण करेंगे और वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय स्थिरता भी सुनिश्चित करेंगे।
2. मध्य प्रदेश सरकार की सहमति के साथ, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि) इंदौर, (डिस्कॉम-वेस्ट) कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत स्थापित की गई हैं, जिसका पंजीकृत कार्यालय जी.पी.एच.पोलो ग्राउंड इंदौर (म.प्र.) में स्थित है, व उसके अंतर्गत इंदौर और उज्जैन राजस्व संभागों के 13 जिले जो कि म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि) इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) के अधिकारक्षेत्र में हैं, के लिये “विद्युत ऊर्जा दक्षता सुधार निवेश कार्यक्रम जो कि समस्त 13 जिलों में प्रस्तावित रहेगा” हेतु परियोजनाएं शुरू की हैं।
3. फीडर सेपरेशन प्रोजेक्ट, वर्तमान में चल रही वितरण सुधारों की निरंतरता को जारी रखते हुए परिकल्पित किया गया है और इसने ए.डी.बी. कार्यक्रम ऋण (IND-2830-Tranche-2) की सहायता से विद्युत क्षेत्र के सुधारों के पूर्ण लाभों के उपयोग कर 24 घंटे बिजली प्रदाय में सक्षम बनाया है। जिससे एक सक्षम नीतिगत ढांचा तैयार हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार (जी.ओ.एम.पी.) ने ग्रामीण इलाकों में कृषि भार से घरेलू भार को अलग करने के लिये फीडर सेपरेशन प्रोग्राम (एफ.एस.पी.) (जिसे पश्चात में एफ.एस.पी. परियोजना के रूप में संदर्भित किया जाएगा) शुरू किया गया। ऊर्जा विभाग, जी.ओ.एम.पी., ने अप्रैल 2010 में परियोजना को मूल स्वीकृति प्रदान की और माह मई 2010 में उक्त परियोजना को दो चरणों में लागू करने के लिये निर्णय लिया गया। परियोजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं-
 - (i) घरेलू उपभोक्ताओं को लगातार 24 घंटे बिजली आपूर्ति और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पंपों को लगातार 10 घंटे बिजली की आपूर्ति प्रदान करना तथा
 - (ii) ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण प्रणाली के टी.एंड.डी हानिको 28 प्रतिशत से 22 प्रतिशत तक कम करना।

4. सभी वितरण कंपनियों और पारेषण कंपनी के लिये एक संयुक्त आई.ई.ई. (प्राथमिक पर्यावरण प्रतिवेदन) रिपोर्ट सितंबर, 2011 में ए.डी.बी. की मंजूरी के लिये प्रेषित की गई थी। हालांकि, कार्यों की प्रगति और सर्वेक्षण के दौरान, एम.एफ.एफ.-ट्रेंच -2 में मूल प्रस्तावित कार्यों के साथ कुछ अतिरिक्त मात्रा में कार्य निष्पादित किये गए थे व उक्त अतिरिक्त कार्यों के प्रकाश में, आई.ई.ई. रिपोर्ट माह अप्रैल 2018 में अद्यतन की गई थी जो कि, डिस्कॉम-वेस्ट के अंतर्गत कार्यों के क्षेत्र को जोड़ने और हटाने के द्वारा भिन्नता को दर्शाने के लिये अद्यतन की गई है उसे तालिका संख्या 3.1 में उल्लेखित किया गया है।

2. परियोजना विवरण

परियोजना को मुख्य उद्देश्य में शामिल प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं :

(i) फीडर विभक्तिकरण का कार्य जो कि सिंचाई पंपों और घरेलु बिजली आपूर्ति लाइनों को पृथक करेगा; (ii) उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (एच.वी.डी.एस.) की स्थापना ; (iii) आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार और मीटरिंग , और (iv) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) के अंतर्गत इंदौर क्षेत्र और उज्जैन क्षेत्र के विभिन्न जिलों में 33 के.व्ही. नेटवर्क का सुदृढीकरण करना। इस परियोजना में निम्नलिखित घटकों के तहत उपप्रोजेक्ट शामिल हैं व योजना के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:

- **घटक (हिस्सा)-1:** फीडर विभक्तिकरण जिसमें नयी 11के.व्ही. लाइनों का निर्माण और विद्यमान 11के.व्ही. लाइनों का पुनर्वास और उन्नयन शामिल हैं, ताकि सिंचाई पंप और घरेलु बिजली आपूर्ति को अलग किया जा सके।
- **घटक (हिस्सा)-2:** एच.वी.डी.एस. की स्थापना जिसमें नये वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना और खुले तार (निम्न दाब) लाइनों को केबल्स में परिवर्तित करना शामिल है।
- **घटक (हिस्सा)-3:** गुणवत्ता सुधार की आपूर्ति और मीटरिंग जिसमें वितरण संपत्तियों को चिन्हित करना और संबंधित ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी.पी.एस.) सर्वेक्षण , मीटरों की स्थापना , 11 के.व्ही. और उससे नीचे के सिस्टम नेटवर्क प्रबंधन में सुधार शामिल है।
- **घटक (हिस्सा)-4:** 33 के.व्ही. नेटवर्क सुदृढीकरण के अंतर्गत विद्यमान ई.एच.वी. सबस्टेशन पर नये 33 के.व्ही. बे का निर्माण, नई 33 के.व्ही. लाइनों का निर्माण, वर्तमान 33/11 के.व्ही. सबस्टेशन को उन्नयन करना, नये 33/11 के.व्ही. सबस्टेशन का निर्माण और नये 3.15 एम.वी.ए. के ट्रांसफॉर्मरों की स्थापना।

3. पर्यावरण की आवश्यकताएं

5. ए.डी.बी. के सेफगार्ड पॉलिसी स्टेटमेंट 2009 (एस.पी.एस. 2009) पर्यावरण सुरक्षा से सम्बंधित आवश्यकताओं को निर्धारित करता है जो सभी ए.डी.बी. वित्त पोषित परियोजनाओं पर लागू होता है। एस.पी.एस. 2009 के अंतर्गत, परियोजना को पर्यावरण की आवश्यकता के रूप में “बी” श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है जिसमें प्रारंभिक पर्यावरण परीक्षण (आई.ई.ई.) को तैयार करना है। एस.पी.एस. 2009 की आवश्यकताओं की पूर्ती के पश्चात, इस आई.ई.ई. को डिस्कॉम-वेस्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इंदौर और उज्जैन क्षेत्रों में वितरण प्रणाली में सुधार के वर्तमान परियोजना के घटकों को सम्मिलित करने के लिये अद्यतन किया है।

6. पर्यावरण और वन मंत्रालय (एम.ओ.आए.एफ.सी.सी.) , भारत सरकार ने सितंबर 2006 में अपनी अधिसूचना में वितरण परियोजनाओं को अपनी गैर प्रदूषणकारी प्रकृति वाली गतिविधियों के कारण पर्यावरणीय अनुमति लेने से छूट दी है। तथापि , वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत यदि कोई वितरण लाइन वन क्षेत्रों से गुजरती है तो वन अनुमति लेना आवश्यक होगा।

4. प्रत्याशित पर्यावरणीय प्रभाव और शमन उपाय

7. वितरण प्रणाली सुधार में सम्मिलित उपप्रोजेक्ट्स का चयन, कार्यस्थल चयन के 13 मानदंडों के आधार और पर्यावरण पर संभावित प्रतिकूल प्रभावों और भूमि अधिग्रहण से बचने के समग्र उद्देश्य के साथ, 17-प्रश्न की चेकलिस्ट द्वारा निर्देशित किया गया था। उपप्रोजेक्ट्स की वितरण लाइन मुख्य रूप से सोयाबीन, चावल , मकई, सब्जियां और अन्य मौसमी फसलों की कृषि भूमि से गुजरती हैं। कोई भी सबप्रोजेक्ट एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. द्वारा वन के रूप में घोषित क्षेत्र, सांस्कृतिक और पुरातात्विक स्थल जो राष्ट्रीय महत्व के माने जाते हैं , और मध्य प्रदेश के नौ राष्ट्रीय उद्यान और 25 वन्यजीव अभयारण्य, के भीतर स्थित नहीं है।
8. उपप्रोजेक्ट्स से पर्यावरण पर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव अनपेक्षित होते हैं, परन्तु निर्माण के समय अस्थायी प्रभाव पड़ सकता है जैसे शोर और धूल स्तर में वृद्धि, जो स्थानीय लोगों के लिये असुविधा का कारण बन सकती है, स्क्रेप सामग्री / मलबे का संचय और उपकेन्द्र निर्माण स्थल पर श्रमिकों की उपस्थिति जिन्हें श्रेष्ठ निर्माण इंजीनियरिंग कार्यप्रणाली और उचित नियोजन द्वारा कम किया जा सकता है। वितरण प्रणाली में सुधार, में वर्तमान 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र का उन्नयन समाहित होगा जिसमें उपकरणों को विघटित करना हो सकता है। स्क्रेप सामग्री जो अभी भी उपयोगी है , वो ई.ए. के इंदौर और उज्जैन भंडारों में संग्रहीत की जाएगी।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना और पर्यावरण नियंत्रण योजना को, फीडर विभक्तिकरण परियोजना के लिये निष्पादित कार्यों के अतिरिक्त पृथक से संपादित किये गए कार्यों के संबंध में अद्यतन की गई है, जैसे कि-11 के.व्ही . लाईन (मय डी.पी. के) का 8 मीटर/ 140 किलोग्राम पी.सी.सी. खम्बो पर स्थापना का कार्य , 85 किमी लम्बाई तक , 1010 नंबर 11 के.व्ही. डी.पी. संरचना 8 मीटर पी.सी.सी.पोल पर स्थापना का कार्य , वर्तमान 3 फेज़ निम्न दाब लाइन के 22.12 किमी के ए.ए.सी./ए.सी.एस.आर कंडक्टर को ए.बी. केबल एक्स.एल.पी.ई. 25 मिलीमीटर साईज़ द्वारा प्रतिस्थापन, सर्विस लाइनों के नवीनीकरण के साथ नये वर्तमान कनेक्शनो के लिये 72177 नग मीटरों का प्रावधान , 1 नग अस्थायी से स्थायी 3.15 एम.वी.ए.33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र का कार्य और 10 नग नये 3.15 एम.वी.ए. 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र का कार्य शामिल हैं, जिन्हे कि तालिका क्रं. ई.1 व ई.2 के माध्यम से दर्शाया गया है।

5. सूचना प्रकटीकरण, परामर्श, और भागीदारी

10. दिनांक 23-26 जुलाई, 2013 के मध्य आयोजित निर्माण स्थल की यात्राओं के दौरान प्रारम्भिक परामर्श किये गए थे और जिन्हें की माह जनवरी 2018 में अद्यतन किया गया था। परियोजना के हितधारकों के साथ परामर्श, परियोजना के सम्पूर्ण कार्यावधि में जारी रहेगा। स्थानीय लोगों की चिंताएं सामान्य थीं और जो इस प्रकार हैं: (i) उनके उत्पादन और आजीविका को प्रभावित करने वाली लोड शेडिंग तथा उर्जा की विश्वसनीय और स्थिर आपूर्ति का अभाव , और (ii) उपकेन्द्र के निर्माण, वितरण खम्बो को खडा करने , और कंडक्टर की स्ट्रिंगिंग की अवधि में प्रभावित किसानों को

समय पर मुआवज़े। स्थानीय लोग प्रस्तावित परियोजना से अवगत हैं और बिजली की विश्वसनीय और स्थिर आपूर्ति के दीर्घकालिक लाभ के कारण सामान्यतः सहायक हैं।

11. यह अंतिम अद्यतन आई.ई.ई. एस.पी.एस. 2009 और लोक संचार नीति 2011 के अंतर्गत, ए.डी.बी. की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा। परियोजना की फैक्टशीट या नित्य पूछे जाने वाले प्रश्नों को हिंदी में ई.ए. के फील्ड कार्यालयों में उपलब्ध कराए जाएंगे। इस सार्वजनिक प्रकटीकरण आवश्यकता के अतिरिक्त, भारत सरकार के सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, परियोजना के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिये ई.ए. को अतिरिक्त दायित्व भी प्रदान करता है।

6. संस्थागत सेट-अप और कार्यान्वयन व्यवस्था

12. म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि, इंदौर, की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पी.एम.यू.) का गठन ई.ए. में पहले ही किया जा चुका है, जो परियोजना प्रबंधन तथा निर्माण के समय ठेकेदार द्वारा सुरक्षा उपायों के अनुपालन की निगरानी के लिये उत्तरदायी है। पी.एम.यू. ने सिविल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के कार्यादेश से पूर्व ही पर्यावरण सलाहकार और नोडल अधिकारी नियुक्त किये हैं, जो मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी हैं कि, ई.एम.पी. उचित रूप से कार्यान्वित किया गया है और निर्माण के समय वर्ष में कम से कम दो बार तथा संचालन चरण की अवधि में वर्ष में एक बार ए.डी.बी. को प्रेषित करने के लिये पर्यावरण निगरानी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। पी.एम.यू. ने ई.एम.पी. और ए.डी.बी. की आवश्यकताओं का उत्तरदायित्व के साथ अनुपालन करने के लिये ई.पी.सी. ठेकेदार को दिये गए कार्य आदेशों में नियम और शर्तों को सम्मिलित किया था।

7. शिकायत निवारण तंत्र

13. कार्यान्वयन के दौरान प्रभावित व्यक्तियों (ए.पी.) से प्राप्त शिकायतों से निपटने के लिये पी.एम.यू. - म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि, इंदौर, में ई.ए. द्वारा एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया था। प्रभावित व्यक्ति तीन स्तरों पर अपनी शिकायत का निवारण कर सकते हैं: (i) पी.एम.यू. संबंधित ई.ए. स्तर पर, (ii) शिकायत निवारण समिति (जी.आर.सी.), और (iii) कानून की उपयुक्त अदालतें। जैसे ही प्रोजेक्ट आरम्भ होता है पी.एम.यू. द्वारा सम्बंधित ई.ए. में जी.आर.सी. की स्थापना की जाती है, जो निर्माण से लेकर ऑपरेशन तक कार्य करता है। पी.एम.यू. संबंधित ई.ए. में जी.आर.सी. के सदस्यों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है जिसमें स्थानीय पंचायत प्रमुख, एक जिला राजस्व आयुक्त, ई.पी.सी. ठेकेदार के प्रतिनिधि केवल निर्माण चरण के समय, सुरक्षा उपायों के लिये ई.ए. के नामित कर्मचारी, ई.ए. के प्रबंधक/निदेशक तथा शिकायतकर्ता/प्रभावित व्यक्ति का गवाह भी शामिल होते हैं।

8. निष्कर्ष और सिफारिशें

14. उपप्रोजेक्ट का चयन मानदंडों का अनुसरण कर और उचित सर्वेक्षण विधियों के बाद संभावित महत्वपूर्ण प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों और भूमि अधिग्रहण से बचने के उद्देश्यों के साथ किया गया था। वितरण लाईन मार्ग मुख्य रूप से सोयाबीन, चावल, मकई, सब्जियां और अन्य नकद फसल की कृषि भूमि से गुजरते हैं। कोई भी सबप्रोजेक्ट पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के समीप या भीतर स्थित नहीं है जैसे एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. द्वारा घोषित जंगल, राष्ट्रीय महत्व के पुरातात्विक और उत्खनन स्थलों, नौ राष्ट्रीय उद्यान और मध्य प्रदेश में 25 वन्यजीव अभ्यारण्य।

15. निर्माण के दौरान और ऑपरेशन के दौरान भी, उपप्रोजेक्ट्स में से कोई भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। तथापि, उपकेंद्रों स्थलों के लिये “राइट ऑफ़ वे” के संबंध में वनस्पति और भूमि समाशोधन की आवश्यकता होगी जिसे निर्माण योजना में उचित नियोजन, परामर्श और सर्वोत्तम प्रथाओं से आसानी से कम किया जा सकेगा। पर्यावरण प्रबंधन योजना में निगरानी उपायों को शामिल किया गया है और पर्यावरण निगरानी योजना में निगरानी के लिये पैरामीटर की पहचान भी की गई है।
16. परियोजना द्वारा संभावित रूप से प्रभावित स्थानीय लोगों के साथ परामर्श से पता चलता है कि उनकी चिंताएं सामान्य हैं जैसे (i) उनके उत्पादन और आजीविका को प्रभावित करने वाली लोड शेडिंग तथा उर्जा की विश्वसनीय और स्थिर आपूर्ति का अभाव, और (ii) उपकेन्द्र के निर्माण, वितरण खम्बो को खड़ा करने, और कंडक्टर की स्ट्रिंगिंग की अवधि में प्रभावित किसानों को समय पर मुआवजे। कुल मिलाकर स्थानीय लोग प्रस्तावित परियोजना से अवगत हैं और बिजली की विश्वसनीय और स्थिर आपूर्ति के दीर्घकालिक लाभ के साथ साथ रोजगार के अवसरों के कारण सामान्यतः सहायक होते हैं। परियोजना के सम्पूर्ण कार्यावधि में परामर्श जारी रहेगा। प्रत्येक ई.ए. में पी.एम.यू. द्वारा कार्यान्वयन के दौरान प्रभावित व्यक्तियों से प्राप्त होने वाली शिकायतों और मुद्दों को उचित प्रकार से हल करने के लिये एक शिकायत निवारण तंत्र (जी.आर.सी.) स्थापित किया जाएगा।
17. यह अद्यतन आई.ई.ई. रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से एस.पी.एस. 2009 और लोक संचार नीति 2011 द्वारा आवश्यक, ए.डी.बी. की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। परियोजना की संक्षिप्त और / या फैक्टशीट हिंदी में तैयार की जाएगी और ई.ए. के प्रत्येक पी.एम.यू.-फील्ड कार्यालयों में जनता के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। क्षमता निर्माण के घटक में सेफगार्ड से सम्बंधित कार्यशाला / प्रशिक्षण का आयोजन भी शामिल है। परियोजना के परिणाम स्वरूप बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता और स्थिरता से मध्य प्रदेश में जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक विकास की गति में सुधार होने की आशा है।

तालिका ई .1 पर्यावरण प्रबंधन योजना (2830)

परियोजना की गतिविधि	संभावित प्रभावित होने वाले पर्यावरणीय घटक	संभावित पर्यावरणीय प्रभाव का विवरण	शमन / संवर्द्धन उपाय	अनुमानित लागत	उत्तरदायी इकाई
योजना और पूर्व निर्माण चरण					
<p>व्यवहारिक अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी (डी.पी.आर.)</p> <ul style="list-style-type: none"> फीडर विभक्तिकरण जिसमें नई 11 के.व्ही. लाइनों का निर्माण और वर्तमान 11 के.व्ही. लाइनों का पुनर्वास और उन्नयन शामिल हैं। फीडर विभक्तिकरण घटकों के लिये अतिरिक्त मात्रा में काम भी निष्पादित किया है जैसे डी.पी. के साथ 8 मीटर 140 किलो पी.सी.सी. खम्बो पर 85 किमी 11 के.व्ही. लाइन का काम 8 मीटर पी.सी.सी. खम्बो पर 1010 नंबर 	भूमि और वनस्पति	<ul style="list-style-type: none"> कृषि भूमि और फसलों का नुकसान आबादी और वनस्पति का नुकसान भूमि अधिग्रहण मिट्टी के कटाव में वृद्धि और मिट्टी की उत्पादकता पर प्रभाव 	<ul style="list-style-type: none"> कार्यस्थल चयन के लिये 13 मानदंडों का उपयोग किया गया है, जिसमें संभावित प्रभावों को कम करने के लिये पर्यावरणीय कारक शामिल हैं। उपकेंद्र साइटों का मूल्यांकन करने में 17-प्रश्न चेकलिस्ट / प्रश्नावली का उपयोग किया गया है, जिसका उद्देश्य भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय प्रभाव से बचने का लक्ष्य है। 	<p>परियोजना की लागत में शामिल</p> <p>सरकार से म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) को भूमि हस्तांतरण की निश्चित लागत डिस्कॉम-वेस्ट द्वारा वहन की जाएगी।</p>	<p>म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.</p>
	लोग	<ul style="list-style-type: none"> लोगों और संरचनाओं का भौतिक विस्थापन लोगों की आर्थिक हानि लोगों को यातायात, शोर, धूल व कंपन के स्तर में वृद्धि के कारण होने वाली परेशानी व असुविधा मौजूदा सुविधाओं में व्यवधान 	<ul style="list-style-type: none"> भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सरकार से स्वामित्व को म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट), में स्थानांतरित कर दिया गया है। फीडर विभक्तिकरण जिसमें नई 11 के.व्ही. लाइनों का निर्माण और वर्तमान 11 के.व्ही. लाइनों के पुनर्वास और उन्नयन शामिल हैं, इनका पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं होगा तथा संरक्षित वन, अभयारण्य या संरक्षित क्षेत्रों से अलग कार्य किया जाएगा। 		
	पानी	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय जल निकासी में व्यवधान पानी की गुणवत्ता पर क्षरण और / या अवशोषण के कारण प्रभाव 	<ul style="list-style-type: none"> ट्रांसफॉर्मर के लिये खनिज तेल जैसे डुरा लाइफ ट्रांसफॉर्मर ऑयल का उपयोग (आमतौर पर ऑपरेशन चरण में होता है)। 		
	वायु	<ul style="list-style-type: none"> धूल और शोर के स्तर, और कंपन के स्तर में बढ़ोतरी भारी उपकरण मशीनरी और 	<ul style="list-style-type: none"> एस.एफ 6 (एक शक्तिशाली जी.एच.जी. गैस) के उत्सर्जन से बचने के लिये वायु इन्सुलेटेड 		

<p>11 के.व्ही. डी.पी. संरचना</p> <ul style="list-style-type: none"> • 31 नग नये 33/11 के.व्ही. उपकेंद्र • 25 अस्थायी उपकेंद्र का स्थायी रूप में रूपांतरण • उपकरण और प्रौद्योगिकी का चयन 		<p>निर्माण वाहनों से उत्सर्जन</p>	<p>(जी.आई.एस.) उपकेंद्र का उपयोग ।</p>		
<p>निर्माण चरण</p>					
<p>ठेकेदार और श्रमिकों के लिये प्राथमिकताएं</p>	<p>लोग</p>	<ul style="list-style-type: none"> • श्रमिकों की पर्यावरण आवश्यकताओं और उनकी जिम्मेदारी पर जागरूकता • ई.एम.पी. लागू करने में ई.पी.सी. ठेकेदार को अपने दायित्वो का बोध । 	<ul style="list-style-type: none"> • ई.एम.पी., रिकॉर्ड प्रबंधन, और रिपोर्टिंग पर ई.पी.सी. ठेकेदारों को अवगत कराना । • निगरानी के लिये महत्वपूर्ण क्षेत्रों और आवश्यक शमन उपायों की पहचान करें • एच.आई.वी. / एड्स जैसे यौन संक्रमित बीमारियों के बारे में जागरूकता पैदा करें । 	<p>ई.पी.सी. ठेकेदार की लागत में शामिल</p>	<p>ई.पी.सी. ठेकेदार, म.प्र.प.क्ष.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू., पी.एम.यू. के पर्यावरण कर्मचारी / पी.एम.यू. का पर्यावरण परामर्शदाता</p>
<p>कार्य प्रबंधन हेतु कार्य योजना बनाना</p>	<p>लोग भूमि वायु पानी अपशिष्ट</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ई.पी.सी. ठेकेदारों द्वारा अनियोजित गतिविधियों के प्रभाव से बचाव • कार्य का सुचारू रूप से क्रियान्वयन 	<ul style="list-style-type: none"> • अस्थायी पैदल यात्री और यातायात प्रबंधन योजना • सामुदायिक और सुरक्षा योजना • स्पोइल निपटान योजना • शोर और धूल नियंत्रण योजना • ड्रेनेज और भारी वर्षा प्रबंधन योजना • सामग्री प्रबंधन योजना 	<p>ई.पी.सी. ठेकेदार की लागत में शामिल</p>	<p>ई.पी.सी. ठेकेदार, म.प्र.प.क्ष.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू., पी.एम.यू. के पर्यावरण कर्मचारी / पी.एम.यू. का पर्यावरण परामर्शदाता</p>

			<ul style="list-style-type: none"> निर्माण अपशिष्ट प्रबंधन योजना 		
परियोजना कर्मचारियों और श्रमिकों की भर्ती	लोग	<ul style="list-style-type: none"> सशक्त श्रमिकों के प्रवासन के कारण संघर्ष परियोजना के लिये स्थानीय समर्थन की कमी भर्ती की पारदर्शिता पर विवाद 	<ul style="list-style-type: none"> ई.पी.सी. ठेकेदार को मशीनरहित काम के लिये स्थानीय श्रम और लिपिक और कार्यालयीन कार्य के लिये योग्य स्थानीय कार्यबल का उपयोग करने की आवश्यकता होगी 	---	ई.पी.सी. ठेकेदार, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू., पी.एम.यू. के पर्यावरण कर्मचारी / पी.एम.यू. का पर्यावरण परामर्शदाता
निर्माण स्थलों पर श्रमिकों की उपस्थिति	लोग	<ul style="list-style-type: none"> खाद्य, अस्थायी आवास आदि जैसी सेवाओं की मांग में वृद्धि खाद्य, अस्थायी आवास इत्यादि जैसी सेवाएं प्रदान करने के लिये लघु-स्तरीय व्यवसाय के अवसर बनाना। 	<ul style="list-style-type: none"> कोई आवश्यकता नहीं 	--	--
<ul style="list-style-type: none"> उपकेंद्र और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिये साइट की तैयारी, वनस्पति और भूमि की सफाई (राईट ऑफ़ वे) एच.वी.डी.एस. सिस्टम की स्थापना जिसमें नये वितरण ट्रांसफॉर्मर की स्थापना शामिल है 	लोग	<ul style="list-style-type: none"> फीडर विभक्तिकरण जिसमें नये 33/11 के.व्ही. उपकेंद्र व 11 के.व्ही. लाइनों और वर्तमान 11 के.व्ही. लाइनों का पुनर्वास व उन्नयन शामिल हैं। 	<ul style="list-style-type: none"> निर्माण प्रबंधन योजना को सख्ती से लागू किया जाएगा संरचनाओं और उपकरणों को नष्ट करने में उचित सुरक्षा वस्त्रों/ उपकरण का उपयोग करें निर्धारित लैंडफिल और / या नियंत्रित डंपसाइट्स में मलबे / विघटित संरचनाओं / उपकरणों का निपटारा किया जाएगा निकालने के पश्चात पुनः उपयोग करने योग्य स्क्रेप सामग्री इंदौर में पुनर्विक्रय / नीलामी के लिये म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) के गोदामों में जमा की जाएगी 	ई.पी.सी. ठेकेदार की लागत में शामिल	ई.पी.सी. ठेकेदार, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू., पी.एम.यू. के पर्यावरण कर्मचारी / पी.एम.यू. का पर्यावरण परामर्शदाता

<p>और खुले कंडक्टर एल.वी. लाइनों का परिवर्तन एरीयल बंच केबल्स से किया जायेगा।</p> <p>• वितरण प्रणाली का गुणवत्ता सुधार और मीटरिंग की आपूर्ति जिसमें संपत्तियों और संबंधित वैश्विक स्थिति प्रणाली (जी.पी.एस.) सर्वेक्षण, मीटर की स्थापना, 11 के.व्ही. पर सिस्टम के नेटवर्क प्रबंधन में सुधार शामिल है</p>		<ul style="list-style-type: none"> • समुदाय के लिये संभावित सुरक्षा जोखिम 	<ul style="list-style-type: none"> • फेंसिंग/बेरिकेड लगाना (आवश्यकतानुसार), पर्याप्त रोशनी, स्पष्ट चेतावनी संकेत और खतरे के सिग्नल प्रदान करें, और समुदाय और सुरक्षा योजना में पहचाने गए सभी सावधानी बरतें • दुर्घटनाओं, अपराध, और चोरी को रोकने के लिये सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति • सड़क नियमों का सख्ती से पालन करने के लिये ई.पी.सी. ठेकेदार ड्राइवरो को निर्देशित करें। 		
		<ul style="list-style-type: none"> • सड़क क्रॉसिंग के साथ सावधानियां 	<ul style="list-style-type: none"> • निर्धारित साइटों पर खतरे और स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले चेतावनी संकेत पोस्ट किये जाएंगे • मचान सड़क के किनारे पर रखा जाएगा • निर्माण वाहन द्वारा सड़क के नियमों का सख्ती से पालन • अस्थायी पैदल यात्री और यातायात प्रबंधन योजना लागू करना। 		
		<ul style="list-style-type: none"> • श्रमिकों को संभावित स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम 	<ul style="list-style-type: none"> • स्वच्छता सुविधाएं और धुलाई का क्षेत्र प्रदान करें • सुरक्षित पेय जल और कचरा डिब्बे प्रदान करें • हर समय अच्छी हाउसकीपिंग लागू करें • श्रमिकों को हेलमेट, सुरक्षा जूते और बेल्ट प्रदान करें • दुर्घटनाओं के मामले में व्यवस्था के लिये निकटतम अस्पताल के साथ समन्वय • उपकेंद्र साइटों पर साप्ताहिक राउंड के लिये नर्स या मेडिकल स्टाफ का गठन करें • निर्माण स्थलों और फील्ड ऑफिस के भीतर प्राथमिक चिकित्सा उपचार स्थापित करें 		

			<ul style="list-style-type: none"> • कानून और सर्वोत्तम इंजीनियरिंग प्रथाओं द्वारा आवश्यक प्रासंगिक सुरक्षा उपायों के साथ निरीक्षण और अनुपालन • पदांकित श्रमिकों को संचार उपकरण प्रदान करें 		
	भूमि और वनस्पति	<ul style="list-style-type: none"> • नये 33/11 के.व्ही. उपकेंद्र का निर्माण • क्षरण और स्थानीय बाढ़ हेतु (उदाहरण के लिए, चार खम्बो की संरचना पर 11 के.व्ही. डी.पी. की स्थापना) • आवास के नुकसान और आर्थिक मूल्य के कुछ परिपक्व पेड़ जैसे टीक (उदाहरण के लिए, चार खम्बो संरचना पर 11 के.व्ही. डी.पी. की स्थापना) 	<ul style="list-style-type: none"> • राईट ऑफ वे और उपकेंद्र के कारण फसलों / पौधों को होने वाले अस्थायी क्षति के लिये मुआवजा • सरकार के स्वामित्व वाले कटे पेड़ बेचे जाएंगे और राजस्व विभाग को प्राप्त राजस्व दिया जाएगा • वनस्पति को कम से कम क्षति होगी क्योंकि अधिकांश उपकेंद्रों के स्थान घास के मैदान / झाड़ी वाली भूमि है। • निर्माण कार्यों के पूरा होने के बाद नये उपकेंद्रों पर वृक्षारोपण व उखाड़े गए वृक्षों का पुनः रोपण किया जाएगा। • क्षरण नियंत्रण उपाय प्रदान किये जाएंगे (आवश्यकतानुसार) • कबाड़ निपटान योजना और निर्माण अपशिष्ट प्रबंधन योजना लागू करें 		
	पानी	<ul style="list-style-type: none"> • निर्माण में कार्यरत श्रमिकों से सीवेज का उत्पादन • स्थानीय बाढ़ • निर्माण स्थलों के पास सतह के पानी में टर्बिडिटी का बढ़ना 	<ul style="list-style-type: none"> • कार्यस्थल के चयन में जलमार्ग से बचें • श्रमिकों को सुरक्षित पेयजल और शौचालय सुविधाएं प्रदान करें • सम्भावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों एवं भूमि क्षरण वाले क्षेत्रों में गर्मी के दौरान निर्माण कार्य किए जाएंगे। • जल निकासी और बाढ़ के पानी के लिये प्रबंधन योजना लागू करें • उपप्रोजेक्ट साइट के चयन में जलमार्ग से बचा 		

			जाए।		
	वायु	<ul style="list-style-type: none"> • भारी उपकरण और निर्माण वाहन उत्सर्जन में वृद्धि कर सकते हैं। • निर्माण स्थलों पर निर्माण सामग्री के परिवहन से धूल के स्तर में वृद्धि कर सकते हैं। • उपकेंद्रों व खम्बे हेतु जमीन पर चलने वाले कार्य, खुद गई व खुली जमीन पर चलने वाले कार्य धूल के स्तर में वृद्धि कर सकते हैं। • उत्खनन और भारी उपकरण और निर्माण वाहनों से शोर के स्तर और कंपन में वृद्धि हो सकती है। 	<ul style="list-style-type: none"> वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के लिये निर्माण में कार्यरत वाहनों का रख-रखाव किया जाएगा। • अस्थायी रूप से निर्माण स्थलों को ढकने से धूल का विक्रमण होगा। • सामग्री को लाने की फेरी को कम करने के लिये कार्यस्थल पर ही निर्माण सामग्री के लिये वेयरहाउस प्रदान किया जाएगा। • उत्सर्जन को कम करने के लिये नियमित रूप से निर्माण वाहनों और भारी उपकरण मशीनरी की देख-रेख की जाएगी जो कि ई.पी.सी. ठेकेदार का उत्तरदायित्व होगा। • खुले मैदानी क्षेत्रों या धूल के स्रोतों पर पानी से छिड़काव किया जाएगा (आवश्यकतानुसार) • एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय धूल पैदा करने वाली सामग्री को ढका जाएगा। • शोर को कम करने के लिये वाहनों की धीमी गति पर ध्यान दिया जाएगा। • ई.पी.ए. अधिनियम 1986 और संशोधन के अनुसार दिन में सुबह 7:00 और शाम 7:00 के मध्य शोर-करने वाले कार्य किये जाएंगे। • निर्माण स्थलों को ध्वनिक स्क्रीन से ढका जाएगा और मशीनों के शोर को नियंत्रित करने के लिये अस्थायी रूप से उसके समीप ढका जाएगा, (एम.पी.पी.सी.बी. दिशानिर्देश, फरवरी 2013) • निर्माण वाहनों द्वारा शोर को कम करने और हॉर्न न 		

			<p>बजाने के लिये तैयार किया जाएगा यह ई.पी.सी. ठेकेदार का दायित्व रहेगा।</p> <ul style="list-style-type: none"> यातायात प्रबंधन योजना का निरीक्षण / पालन किया जाए। 		
कार्यरत और रखरखाव चरण					
ट्रांसफॉर्मर के लिये खनिज तेल का उपयोग	<ul style="list-style-type: none"> भूमि पानी 	<ul style="list-style-type: none"> दुर्घटनावश हुए तेल (ऑईल) छलकाव जो भूमि और पानी को दूषित करेंगे। 	<ul style="list-style-type: none"> तेल-पानी विभाजक का प्रावधान तेल रोकथाम संरचना की उपलब्धता 	परियोजना लागत में (संचा/संधा) भी शामिल है।	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.
	<ul style="list-style-type: none"> लोग 	<ul style="list-style-type: none"> सम्पर्क के कारण श्रमिकों का स्वास्थ्य जोखिम 	<ul style="list-style-type: none"> खनिज तेल, सामग्री डेटा सुरक्षा शीट के साथ स्वीकार किया जाए अथवा यह प्रमाणित होना चाहिये कि यह पी.सी.बी. मुक्त है। खनिज तेल के लिये भंडारण क्षेत्रों में आग बुझाने वाले यंत्र आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। 		
ट्रांसफॉर्मर लगाने एवं 11 के.व्ही. डी.पी. (जो कि 4 पोल संरचना पर स्थित हैं) एवं फीडर विभक्तिकरण लाइनों के संबंध में	<ul style="list-style-type: none"> भूमि 	<ul style="list-style-type: none"> उपकेंद्र और विद्युत वितरण खम्बो के समीप भूमि संपत्ति के मूल्य का मूल्यहास 	<ul style="list-style-type: none"> स्थिर और विश्वसनीय ऊर्जा की उपलब्धता क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देगी। 	--	--
	<ul style="list-style-type: none"> लोग 	<ul style="list-style-type: none"> विद्युत वितरण और वितरण लाइनों की आकस्मिक विपदा जैसे इलेक्ट्रोक्यूशन, बिजली गिरना आदि जैसे खतरे 	<ul style="list-style-type: none"> उपकरण और लाइनों की चोरी व तोड़-फोड़ से बचने के लिये सुरक्षा और निरीक्षण कर्मियों का उपलब्ध कराना। रख-रखाव के काम के दौरान लाइव पावर लाइनों के उचित ग्राउंडिंग और डिएक्टिवेशन। ऐसी सुरक्षा प्रणाली के साथ डिजाइन किया 	परियोजना लागत में (संचा/संधा) भी शामिल है।	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.

			<p>(बनाया) गया है जो विद्युत ओवरलोड (overload) या इसी तरह की आपात स्थिति के दौरान सप्लाई बंद कर देती है।</p> <ul style="list-style-type: none"> • विद्युत मानकों को बनाए रखें और उनका पालन करना। • उपकेंद्र में प्रवेश करने और बाहर जाने वाली वितरण लाईनें हनिकारक प्रभाव को कम करने के लिये इन्सुलेटेड (या कवर) होती हैं। • बिजली लाइनों और उपकेंद्र की सुरक्षा और संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिये नियमित निगरानी और रख-रखाव करना। • उपकेंद्र के पास रहने के वालों को सुरक्षा नियम संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिये स्थानीय लोगों को सूचना और शिक्षा अभियान आयोजित करना। 		
		<ul style="list-style-type: none"> • ऊंचाई पर काम करने से संबंधित दुर्घटना। 	<ul style="list-style-type: none"> • जोखिम को कम करने के लिये सुरक्षा योजना लागू की। • सुरक्षा बेल्ट और सुरक्षा के लिये अन्य काम करने वाले गियर का प्रावधान। 	परियोजना लागत में (संचा/संधा) भी शामिल है।	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.
		<ul style="list-style-type: none"> • बिजली और चुंबकीय क्षेत्रों (ई.एम.एफ.) के संभावित जोखिम 	<ul style="list-style-type: none"> • ई.एम.एफ. स्तर गैर-आयोनिजिंग विकिरण संरक्षण (आई.सी.एन.आर.पी.) पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्धारित सीमा से नीचे होने की उम्मीद है, जो विद्युत क्षेत्र के लिये 4.17 के.व्ही. / मीटर और चुंबकीय क्षेत्र के लिये 833 एम.जी. है। • ई.एम.एफ. के स्थानिक माप • उपकेंद्र में अनाधिकृत प्रवेश को रोकने के लिये उसके चारों ओर बाड़ें का निर्माण कर सुरक्षा 	परियोजना लागत में (संचा/संधा) भी शामिल है।	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.

			<p>कर्मचारियों को सौंपा जाना ।</p> <ul style="list-style-type: none"> • सुरक्षा नियम पर जागरूकता लाने के लिये स्थानीय लोगों को सूचना और शिक्षा अभियान आयोजित किया जाएगा । 		
		रोजगार का सृजन	कार्य के दौरान 80 से अधिक पदों का सृजन किया जाएगा ।	--	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.
	• ध्वनि	उपकेंद्रों के पास स्थित बस्तियों के लिये खलल ।	<ul style="list-style-type: none"> • शोर को कम करने के लिये ट्रांसफॉर्मर और कैपेसिटर्स जैसे उपकरणों का आवधिक रख-रखाव किया जाएगा । • शोर करने वाले उपकरण को कवर किया जाना । • वातावरण में शोर के स्तर की निगरानी की जाएगी । 	परियोजना लागत में (संचा/संधा) भी शामिल है ।	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.

तालिका ई. 2 पर्यावरण निगरानी योजना

परियोजना चरण	पैरामीटर / संकेतक	स्थान	मापन का तरीका	आवृत्ति	जिम्मेदारी (कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण)
पूर्व निर्माण और योजना	उपकरण और मशीनरी की गारंटीकृत शोर स्तर	33/11 के.व्ही. उपकेंद्र	मशीनरी और उपकरण विनिर्देश - व्यापक शोर के स्तर का अनुपालन किया जाएगा।	एक बार	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.
	भूमि गुणवत्ता	33/11 के.व्ही. उपकेंद्र, एच.वी.डी.एस. प्रणाली को लगाना और फीडर विभक्तिकरण 11 के.व्ही. और एल.वी. लाइनें	नमूने का चयन और रासायनिक विश्लेषण किये जाएंगे।	एक बार	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.
	ट्रांसफॉर्मर तेल की गुणवत्ता	11 के.व्ही. डी.पी. और ट्रांसफॉर्मर	सामग्री सुरक्षा डेटा शीट – आई.एस. 1866 के अनुपालन में।	एक बार	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.
	स्थलीय और जलीय जीवों का नुकसान	33/11 के.व्ही. उपकेंद्र, एच.वी.डी.एस. प्रणाली को लगाना और फीडर विभक्तिकरण 11 के.व्ही. और एल.वी. लाइनें	नजरी निरीक्षण, ट्रान्ससेक्ट सर्वेक्षण करना	एक बार	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.
	पानी संसाधनों की निकटता	33/11 के.व्ही. उपकेंद्र, एच.वी.डी.एस. प्रणाली को लगाना और फीडर विभक्तिकरण 11 के.व्ही. और एल.वी. लाइनें	नजरी निरीक्षण करना, नक्शे बनाना	एक बार	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.
	प्रवासी पक्षियों के मार्ग	33/11 के.व्ही. उपकेंद्र, एच.वी.डी.एस. प्रणाली को लगाना और फीडर विभक्तिकरण 11	नजरी सर्वेक्षण / अवलोकन करना, द्वितीयक आँकड़े रखना	मौसमी विविधताओं को दर्ज करने के लिये	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.

		के.व्ही. और एल.वी. लाइनें		त्रैमासिक रूप से	
निर्माण	स्थानीय श्रमिकों और कर्मचारियों की भर्ती	33/11 के.व्ही. उपकेंद्र, एच.वी.डी.एस. प्रणाली को लगाना और फीडर विभक्तिकरण 11 के.व्ही. और एल.वी. लाइनें	भर्ती किये गए स्थानीय श्रमिकों और कर्मचारियों की संख्या संधारित करना	मासिक	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.; ई.पी.सी. ठेकेदार
	एचआईवी / एड्स जैसे मुद्दों पर ठेकेदारों और श्रमिकों का अभिविन्यास, ई.एम.पी. के अनुपालन आदि।	33/11 के.व्ही. उपकेंद्र, एच.वी.डी.एस. प्रणाली को लगाना और फीडर विभक्तिकरण 11 के.व्ही. और एल.वी. लाइनें	प्रतिभागियों की संख्या संधारित करना	निर्माण से पहले एक बार,	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.
	निर्माण वाहनों के कार्यकलापो से पहले खुले मैदान पर पानी का छिड़काव	सड़क सुगमता से उपकरण और निर्माण सामग्री के वितरण में सहायता, वितरण खम्बो (यदि आवश्यक हो) व कंडक्टर की स्ट्रिंगिंग में सहायता	नजरी निरीक्षण / मौके पर चेक करना	<ul style="list-style-type: none"> • साप्ताहिक सड़क की सुगमता अनुसार (या अवश्यकतानुसार) • सूखे मौसम के दौरान हर दिन उपकेंद्रों साइट्स पर 	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.; ई.पी.सी. ठेकेदार
	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	श्रमिक, शिविरों में, कंडक्टर की स्ट्रिंगिंग में, वितरण खम्बो में	नजरी निरीक्षण / मौके पर चेक करना	प्रति सप्ताह	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.; ई.पी.सी. ठेकेदार
	श्रमिकों और जनता की सुरक्षा के लिये खतरे	सड़क सुगमता से उपकरण और निर्माण सामग्री के वितरण में	नजरी निरीक्षण / मौके पर चेक करना	महीने में एक बार	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-

	और चेतावनी संकेत	सहायता, वितरण खम्बो व कंडक्टर की स्ट्रिंगिंग में सहायता			वेस्ट) की पी.एम.यू.
	कार्यसूची का जनता के समक्ष घोषणा करना	सड़क सुगमता से वितरण लाईनो के जुड़ाव में सहायता, खम्बो व कंडक्टर की स्ट्रिंगिंग में सहायता	कार्य अनुसूची लॉग शीट बनाना	आवश्यकतानुसार	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.; ई.पी.सी. ठेकेदार
	क्षरण नियंत्रण उपाय जैसे गंध जाल	33/11 के.व्ही. उपकेंद्र, एच.वी.डी.एस. प्रणाली को लगाना और फीडर विभक्तिकरण 11 के.व्ही. और एल.वी. लाइनें	नजरी निरीक्षण करना	महीने में एक बार	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.; ई.पी.सी. ठेकेदार
	निर्माण वाहनों से होने वाला धुआं	33/11 के.व्ही. उपकेंद्र, एच.वी.डी.एस. प्रणाली को लगाना और फीडर विभक्तिकरण 11 के.व्ही. और एल.वी. लाइनें	नजरी निरीक्षण / मौके पर जांच करना	साप्ताहिक	ई.पी.सी. ठेकेदार, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू. के पर्यावरण कर्मचारी
	वायु की गुणवत्ता और ध्वनि स्तर की निगरानी	33/11 के.व्ही. उपकेंद्र, एच.वी.डी.एस. प्रणाली को लगाना और फीडर विभक्तिकरण 11 के.व्ही. और एल.वी. लाइनें	एम.ओ.ई.एफ. से स्वीकृत पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के माध्यम से मॉनिटरिंग करना।	परियोजना के पूरा होने तक अर्धवार्षिक।	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.; ई.पी.सी. ठेकेदार
	हाउसकीपिंग	33/11 के.व्ही. उपकेंद्र, एच.वी.डी.एस. प्रणाली को लगाना और फीडर विभक्तिकरण 11 के.व्ही. और एल.वी. लाइनें	नजरी निरीक्षण / मौके पर चेक करना	साप्ताहिक	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.; ई.पी.सी. ठेकेदार
संचालन (ऑपरेशन)	वितरण खम्बो और / या वितरण लाइनों का फेल्युअर	एलाइनमेंट के साथ	लॉग शीट का रख-रखाव करना	मासिक	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.

वायु की गुणवत्ता निगरानी	33/11 के.व्ही. उपकेंद्र (प्रमुख क्षेत्र)	एम.ओ.ई.एफ. से स्वीकृत पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के माध्यम से मॉनिटरिंग करना ।	वार्षिक	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.
कार्य के दौरान स्वास्थ्य और सुरक्षा	33/11 के.व्ही. उपकेंद्र, एच.वी.डी.एस. प्रणाली को लगाना और फीडर विभक्तिकरण 11 के.व्ही. और एल.वी. लाइनें	दुर्घटनाओं और / या चोटों की संख्या संधारित करना	अर्धवार्षिक	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.
वृक्ष रोपण, हरीयाली वाले क्षेत्र का रख-रखाव	33/11 के.व्ही. उपकेंद्र, एच.वी.डी.एस. प्रणाली को लगाना और फीडर विभक्तिकरण 11 के.व्ही. और एल.वी. लाइनें	नजरी निरीक्षण करना	त्रैमासिक	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.
हाउसकीपिंग	33/11 के.व्ही. उपकेंद्र, एच.वी.डी.एस. प्रणाली को लगाना और फीडर विभक्तिकरण 11 के.व्ही. और एल.वी. लाइनें	मौके पर जांच करना	मासिक	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.
अपशिष्ट का संग्रह (यानी, तेल, कचरा, आदि)	33/11 के.व्ही. उपकेंद्र, एच.वी.डी.एस. प्रणाली को लगाना और फीडर विभक्तिकरण 11 के.व्ही. और एल.वी. लाइनें	(संचा/संधा) लॉग शीट बनाना	मासिक	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.
पक्षी टक्कर / विद्युत प्रसंस्करण	फीडर विभक्तिकरण खम्बो और वितरण एलाइनमेंट के साथ	मौके पर चेक / अवलोकन करना	मासिक	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.
केबल की चोरी	फीडर विभक्तिकरण खम्बो और वितरण लाइनों के साथ	नजरी निरीक्षण; (संचा/संधा) लॉग शीट (सुरक्षा संचालन) रखना	त्रैमासिक	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.